न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया , आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 52/21 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2021/649

अनवान्

1 श्री युवराज पिता चमनलाल जी खटीक निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
......प्रार्थी

बनाम

1 श्रीमती [illegible] बाई पत्नी स्व. उकारलाल जी खटीक निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।

2 श्रीमती हेमलता पुत्री स्व. उकारलाल जी (पत्नी जगदीश) खटीक निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर हाल निवासी बोहरा गणेश जी मंदिर के पास फतेहा उदयपुर जिला उदयपुर राज ।

3 श्रीमती [illegible] पुत्री स्व. उकारलाल जी (पत्नी नानालालजी) खटीक निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर हाल निवासी बान्सी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज ।

4 श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार /उप पंजियक, वल्लभनगर हाल भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज

5 श्री बंशीलाल पिता गिरधारी लाल जी खटीक निवासी यादव मोहल्ला भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।

................विपक्षीगण

उपस्थित– 1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांकः—13.05.2024

1. प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज में आराजी नम्बर 53/9 रकबा 4 बिघा 4 बिश्वा श. न. 1/1, 51, 52 स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भेरूलाल, रामलाल पिता डालचन्द, नर्वदा बेवा डालचन्द 27/140 निर्मला, पुष्पा पिता डालचन्द 2/35, शान्तिलाल शिवशंकर, दीपीका पिता सोहनलाल, प्रेम बाई बेवा सोहनलाल 1/7 युवराज, ईश्वर विजय पिता चमनलाल, सोसर बाई बेवा चमनलाल [illegible] भागवन्ति, रेखा, प्रियंका पिता चमनलाल 3/49, हेमलता, निर्मला पिता उकार 3/21, [illegible] बेवा उकार 13/84, बावरी, [illegible] सुमित्रा पिता हिरा 3/28 खटीक सा. [illegible] रो बावरी [illegible] सुशिला पिता हिरा 3/28 के बजाय शान्तिलाल, शिव शंकर पिता सोहनलाल, प्रेम बाई [illegible] सोहनलाल 3/28 खटीक सा. देह के नाम पर अंकित हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 एवं वाद में विपक्षी संख्या 4 से 18 राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार संयुक्त रूप से काबिज है और संयुक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:33:54 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार में दर्ज है जिसका खातेदारों के मध्य मिटस एवं बाउन्डस से विभाजन नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 18 के मध्य मिटस एवं बाउन्डस से जरिये विपक्षी संख्या 19 के विभाजन कराना चाहता है और वादग्रस्त आराजी के मौके नम्बर अनुसार जाकर हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलग अलग अंकन कराया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रार्थनाग्रस्त भूमि का बिना विभाजन कराये अन्य लोगों को रहन बेह बक्शीश आदि तरिको से हस्तान्तरित करने पर आमादा है और ऐसा करने से अन्जानी क्रेता विशेष हिस्से को लेकर जबरन कब्जा करने का असफल प्रयास करेगा जो पक्षकारों के मध्य मौके पर भारी विवाद होगा एवं मुकदमेबाजी बढ़गी जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में आराजी नम्बर 53/9 रकबा 4 बीघा 4 बिश्वा श. न. 1/1, 51, 52 स्थित है लेकिन उक्त कलम में यह मिथ्या कथन अंकित किये है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में यह मिथ्या कथन अंकित किये है कि विपक्षी श्रीमती हेमलता, निर्मला पिता उंकार का 2/21, कमला बेवा उंकार 13/18 सा. दह के नाम से अंकित है जबकि विपक्षी संख्या 1 का 13/84 हिस्सा भूमि में से 12 बिस्वा यानि 12/84 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 2 एवं 3 का सम्पूर्ण 2/21 वां हिस्सा यानि 8 बिस्वा कुल 1 बिघा भूमि को मिल एवज 200000/— अक्षरे दो लाख रूपया के प्रतिफल में श्री बंशीलाल पिता गिरधारी लाल जी जाति खटीक निवासी भीण्डर तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र के विक्रय कर कब्जा उसे सिपूर्द कर दिया है और उपरोक्त वर्णित अनुसार इंतकाल भी क्रेता बंशीलाल के नाम खुल चुका है इस कारण श्री बंशीलाल के नाम 13/84 हिस्सा दर्ज हो चुका है शेष 1/84 हिस्सा कमला पति स्व. उंकार लाल सा. दह दर्ज है।

3. यह कि विपक्षी संख्या 2 व 3 का सम्पूर्ण हिस्सा तथा विपक्षी श्रीमती कमला का 13/84 हिस्सा में से 12/84 वां हिस्सा श्री बंशीलाल को विक्रय हो चुका हैं इस कारण वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर विपक्षी संख्या 1 श्री बंशीलाल उपरोक्त हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में संयुक्तरूप से काबिज है और उक्त कलम में शेष कथन सही होने से स्वीकार पक्षकारों के बीच बटवाड़ा नहीं होने से यदि उनके बीच मिट्स एवं बाउट्स से बटवाड़ा किया जाकर सभी पक्षकारों का उनके हिस्से अनुसार दर्ज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब व विशेष उत्तर पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 5 द्वारा 1 बीघा भूमि अर्थात 20/84 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.10.2014 को प्रतिफल राशि 200000/— रूपया विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 को अदा की जाकर विक्रय पत्र का पंजीयन करा विपक्षी संख्या 5 को कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से वादग्रस्त आराजीयात पर विपक्षी संख्या 5 का उपयोग उपभोग होकर कब्जा काश्त हैं तथा विपक्षी संख्या 5 के नाम पर जरिये नामान्तरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:33:54 IST
Reason: SelfAttested

5935 दिनांक 08.12.2014 से खुल कर राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज भी हो चुका है शेष 1 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है। वाद वर्णित भूमि के खाता संख्या 1092 की आराजी खसरा नम्बर 53/9, 1/1, 51, 52 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से विपक्षी संख्या 1 का 13/84 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 2/42 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 2/42 हिस्सा भूमि मुझ विपक्षी संख्या 5 द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.10.2014 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया तब से उक्त भूमि पर मुझ विपक्षी संख्या 5 का कब्जा, उपयोग उपभोग चला आ रहा है तब से विपक्षी संख्या 5 अपने हक, हिस्से की भूमि पर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है तथा विपक्षी संख्या 5 भी वादग्रस्त आराजीयात का रेकर्ड खातेदार हो चुका है और विधि में रेकर्ड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की ही नही जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4 हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है।

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला–:** प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह पाया कि प्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसी के साथ प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात सामलाति दर्ज भूमि हैं जिसका खातेदारो के मध्य मिटस एण्ड बाउण्डस से विभाजन नहीं हुआ हैं विभाजन होने तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 द्वारा जवाब पेश कर कहा कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को विपक्षी सं. 2, 3 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा व विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से मे से 12/84 हिस्सा विपक्षी संख्या 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर चुके हैं। विपक्षी संख्या 5 द्वारा अपना जवाब पेश किया गया जिसमें बताया की दिनांक 27.10.2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात का 20/84 हिस्सा क्रय कर प्रतिफल राशि 200000/– रूपये अदा किये गये जिसका नामान्तरण विपक्षी संख्या 5 के नाम पर नामान्तरण संख्या 5935 दिनांक 08.12.2014 से [illegible] राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज भी हो चुका हैं। हमने प्रार्थना पत्र [illegible] पर उ[illegible] दस्तावेजो से प्रथम दृष्टया यह पाया कि विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त आ[illegible] में खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी संख्या 5 द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार से क्रय की गई है जिसका नामान्तरण खुल कर राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज भी हो चुका हैं जिससे विपक्षी संख्या 5 खातदार काश्तकार हैं। खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:33:54 IST
Reason: SelfAttested

के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णत किया जाता हैं।

5. **सुविधा संतुलन–:** प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से [illegible] संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

6. **अपूरणीय क्षति–** प्रकरण में प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध मूल वाद में घोषणा व [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त वर्तमान में सागलाति दर्ज भूमि है विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी संख्या 5 द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में 20/84 हिस्सा [illegible] विक्रय पत्र से क्रय किये जाने से विपक्षी संख्या 5 प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में खातेदार काश्तकार हैं। खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जायेगें। इस पत्रावली में विवेचन के लिए हमें तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर ही विवेचन करना है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जा चुके है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:33:54 IST
Reason: SelfAttested